न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 130/2014/223 आर टी ए

1. जीतराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी चारणवाली तहसील नोहर।

––अपीलांट

बनाम

1. बलकौरसिंह पुत्र जग्गाराम जाति रायसिख निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 07.04.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर

प्रकरण संख्या 248/2012 अनवानी जीतराम बनाम बलकौरसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता अपीलांट

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–14.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 48, 49 आरटीए पेश किया कि वादी जीतराम रोही मौजा चक 5 केएनएन मे प.न. 341/372 मु.न. 57 कि.न. 16/2 की 0.013, कि.न. 24/3 की 0.013 कुल 0.026 है0 भूमि का खातेदार है तथा प्रतिवादी सं. 1 रोही मौजा चक 5 केएनएन प.न. 341/373 मु.न. 60 कि.न. 8/2 की 0.038 है0 भूमि का खातेदार है। वादी व प्रतिवादी आपस मे खेत पड़ौसी है तथा उक्त भूमि की किश्म समान है तथा दोनो सामान रूप से उपजाऊ है कोई अन्तर नही है मगर काश्त की सुविधा के लिये वादी व प्रतिवादी आपस मे विनिमय करना चाहते है। उक्त किले पहले से ही उनके कब्जा काश्त मे चले आ रहे है। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाकर वाद वादी खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का मौका नही दिया गया व ना ही कब्जा संबंधी जांच की गई और न ही राजस्थान स्टेट द्वारा पूरे वाद की सुनवाई मे कोई विरोध किया है। प्रतिवादी सं. 1 को समान तलबी यथावत विधिनुसार हो जाने पर भी वह हाजिर नही आया, कार्यवाही एकतरफा कर दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन नही किया गया यदि सही जांच कर पत्रावली का निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नही होती। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 48 व 49 आरटीए के तहत वादग्रस्त भूमि के विनिमय संबंधी अनुतोष चाहते हुए विनिमय प्राप्त भूमि की घोषणा अपने करवाने बाबत पेश किया गया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय वाद साक्ष्य सबूतो के अभाव मे साबित नही होने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट का तर्क है कि निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का मौका नही दिया व ना ही कब्जा संबंधी जांच की गई और न ही राजस्थान स्टेट द्वारा पूरे वाद की सुनवाई मे कोई विरोध नही किया तथा प्रतिवादी सं. 1 बाद तामील हाजिर नही आया। अपीलांट द्वारा मुख्यतः अनुतोष भूमि का विनिमय हेतु चाहा गया है जिसमे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 (1) के प्रावधानो के अन्तर्गत अगर विनिमय के संबंध मे कोई विवाद आदि नही है तो अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका कब्जा संबंधी जांच की जाकर तद्नुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 (1) के प्रावधानो के अन्तर्गत निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित है। ऐसी स्थिति मे अपील

अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.04.2014 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 (1) के प्रावधानो के अन्तर्गत अगर विनिमय के संबंध मे कोई विवाद आदि नही है तो अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका कब्जा संबंधी जांच की जाकर तद्नुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 (1) के प्रावधानो के अन्तर्गत निर्णय पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 21.03.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ